सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 140 / प्रा0पत्र / 2021 दायरा दिनांक :–01.09.2021

GCMS ID–2021 / 124

1. सत्यनारायण आ0 मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी अकलोर तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. सीताराम आ0 मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी अकलोर तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. छोटी पत्नी मोती जाति गुर्जर निवासी अकलोर तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. मुकेश आ0 मोती जाति गुर्जर निवासी अकलोर तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. रमेश आ0 भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी अकलोर तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. शोजी आ0 भैरू जाति गुर्जर निवासी अकलोर तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :– एकतरफा

दिनांक :– 07 / 04 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 108 खसरा संख्या 427 रकबा 0.3966 हैक्टेयर वाके ग्राम अकलोर पटवार मण्डल चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित है। जो प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता मोती के फोरू पुत्र मोती व मुकमा पुत्री मोती नाम की कोई पुत्र पुत्रिया नही है। प्रार्थीगण का नाम सत्यनारायण पुत्र मोती, सीताराम पुत्र मोती है, प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी जो प्रार्थीना पत्र की चरण संख्या 1 में विस्थित है, में नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थी सत्यनारायण के स्थान पर मुकमा पुत्री मोती व सीताराम आ0 मोती के स्थान पर फोरू पुत्र मोती का इन्द्राज कर दिया उक्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है, जबकि प्रार्थी के पिता के मुकमा पुत्री मोती के नाम की कोई पुत्री नहीं है। प्रार्थीगण के सभी सरकारी दस्तावेजात भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बैक पासबुक्स, राशन कार्ड आदि सभी सहकारी दस्तावेजात व भूमि खाता संख्या 101 व 137 वाके ग्राम अकलोर में विस्थित है, जिसमें प्रार्थीगण का नाम सत्यनारायण आ0 मोती व सीताराम आ0 मोती दर्ज है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण का नाम सत्यनारायण के स्थान पर मुकमा पुत्री फोरू व सीताराम के स्थान पर फोरू आ0 मोती का इन्द्राज कर दिया गया है, जिसकी वजह से प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर फोरू आ0 मोती के स्थान पर सीताराम आ0 मोती व मुकमा पुत्री मोती के स्थान पर सत्यनारायण आ0 मोती दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत के चतरगंज के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 02.08.2021 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में फोरू आ0 मोती व मुकमा पुत्री मोती के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर फोरू आ0 मोती के स्थान पर सीताराम आ0 मोती व मुकमा पुत्री मोती के स्थान पर सत्यनारायण आ0 मोती दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम दर्ज करवावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/21/187 दिनांक :–25.10.2021 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम अकलोर की भूमि खाता संख्या 108 में दर्ज अपने नाम फौरू आ0 मोती के स्थान पर सीताराम आ0 मोती व मुकमा पुत्री मोती के स्थान पर सत्यनारायण आ0 मोती शुद्ध करवाना चाहते है। जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा उक्त खाता नम्बर में दर्ज सहखातेदार फौरू आ0 मोती के स्थान पर सीताराम आ0 मोती व मुकमा पुत्री मोती के स्थान पर सत्यनारायण आ0 मोती एक ही व्यक्ति के नाम है। जिनको फौरू के स्थान पर सीताराम व मुकमा के स्थान पर सत्यनारायण शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का सही नाम सीताराम व सत्यनारायण आ0 मोती है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन–आधार कार्ड, बैंक डायरी, स्थाई लेखा संख्या कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस व अंकतालिका व जमाबंदी खाता संख्या 101 व 137 ग्राम अकलोर पेश किए है जिसमें प्रार्थीगण का नाम सत्यनारायण व सीताराम दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम अकलोर पटवार मण्डल चतरगंज के खाता संख्या 108 में दर्ज सहखातेदार फौरू पुत्र मोती के स्थान पर सीताराम पुत्र मोती व मुकमा पुत्री मोती के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र मोती शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 07.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

07/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)